बिजली चोर उद्योगपति को 1 साल की सश्रम कैद, 42 लाख जुर्माना

नई दिल्लीः 7 फरवरी, 2012। बिजली चोरी के मामले में ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए, बिजली की स्पेशल कोर्ट ने पश्चिमी दिल्ली के एक उद्योगपति को 1 साल की सश्रम कैद, और कुल 42 लाख रूपये जुर्माने की सजा सुनाई है। यदि आरोपी जुर्माने की रकम का भुगतान नहीं करता है, तो उसे 3 महीने और जेल में गुजारने होंगे। उद्योगपति पर 55 किलोवॉट बिजली की चोरी का आरोप था। वह औद्योगिक इस्तेमाल के लिए बिजली की चोरी करते पकड़ा गया था।

यह अपनी तरह का अनोखा मामला है, जिसमें स्पेशल कोर्ट ने किसी उद्योगपति को भारी जुर्माने के साथ–साथ सश्रम कैद की सजा भी सुनाई है। आरोपी उद्योगपति महावीर सिंह के खिलाफ भारतीय बिजली कानून की धारा 135 के तहत यह सजा सुनाई गई है। आरोपी के रहम के अनुरोध को नकारते हुए कोर्ट ने अपने ऑर्डर में कहा– आरोपी बिजली की चोरी करके उसका मनमाना इस्तेमाल कर रहा था, क्योंकि वह जानता था कि उसे बिजली की खपत के एवज में भुगतान नहीं करना पड़ेगा। ऐसे आरोपियों के खिलाफ कोई नरमी नहीं बरती जा सकती। उन्हें यह बात याद रखनी चाहिए कि ऐसी गतिविधियों के गंभीर परिणाम होंगे, जिनमें जेल की सजा भी शामिल है। ऐसे मामलों में कड़ी सजा मिलनी चाहिए, ताकि बिजली की चोरी को मुनाफे का धंधा न समझा जाए। मेरे हिसाब से, अभियुक्त किसी नरमी का हकदार नहीं है।

अपने आदेश में द्वारका स्थित बिजली की स्पेशल कोर्ट के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश श्री सुरेश कुमार गुप्ता ने कहा– बिजली चोरी करके जो वित्तीय लाभ कमाया जा रहा था, उसके तिगुने से कम का जुर्माना नहीं होना चाहिए। बिल के तौर पर वह 16, 91, 996 रूपये का भुगतान करेगा। साथ ही, आरोपी 25, 37, 995 रूपये फाइन के तौर पर भी चुकाएगा। यदि वह फाइन का भुगतान नहीं करता है, तो उसे और 3 महीने जेल में (साधारण कैद) गुजारने होंगे।

क्या था मामलाः

बीएसईएस राजधानी पावर लिमिटेड की एन्फोर्समेंट टीम ने 2007 में मुंडका स्थित कमरूद्दीन नगर में, प्लास्टिक पेलेट्स बनाने वाली एक औद्योगिक इकाई पर छापा मारा था। वहां 55 किलोवॉट की बिजली चोरी पकड़ी गई थी। यही नहीं, आरोपी इतना चालाक था कि एन्फोर्समेंट टीम की आंखों में धूल झोंकने के लिए उसने वहां तीन फेज वाला बिजली का नकली मीटर भी लगा रखा था, ताकि किसी को उस पर बिजली चोरी का शक न हो। लेकिन जांच में पता चला कि मीटर पूरी तरह से फर्जी है, और बीएईएस में उस मीटर का कोई रेकॉर्ड भी नहीं मिला।

दो अन्य मीटर भी साइट पर मिले, जिनमें एक का एमडीआई शून्य किलोवॉट था, जबकि दूसरे का 2.5 किलोवॉट। इन दोनों मीटरों का उपयोग घरेलू व व्यावसायिक इस्तेमाल के लिए हो रहा था।

उस वक्त, आरोपी पर बिजली कानून, 2003 के प्रावधानों के तहत, 16.9 लाख रूपये का जुर्माना किया गया। लेकिन आरोपी ने जुर्माने की रकम का भुगतान नहीं किया। बाद में मामले को अदालत में ले जाया गया।

मामले की सुनवाई के दौरान, शुरूआत में आरोपी महावीर सिंह ने कहा कि जिस जगह पर छापेमारी की गई है, उस जगह पर वह रहते जरूर हैं, लेकिन वहां कोई फैक्टरी नहीं है। बाद में आरोपी के वकील ने कोर्ट में कहा कि वह जगह महावीर सिंह की है ही नहीं, और जिस साइट पर छापा मारा गया है, उससे महावीर का कोई ताल्लुक नहीं है। वह जगह किसी अशोक कुमार यादव की है, महावीर की नहीं। बाद में कोर्ट में यह कहा गया कि आरोपी महावीर दो मीटरों के माध्यम से बिजली का उपयोग कर रहे थे।

लेकिन आगे की सुनवाई के दौरान दोनों में से किसी भी बात को आरोपी साबित नहीं कर पाया। न तो आरोपी यह साबित कर सका कि वह जगह अशोक कुमार यादव की है, और न ही इस बात को साबित कर पाया कि वह दो मीटरों के माध्यम से बिजली का उपयोग कर रहा था। आरोपी यह नहीं बता पाया कि वह जिन दो मीटरों की बात कर रहा है उनका एमडीआई तो शून्य किलोवॉट और 2.5 किलोवॉट है। ऐसे में, वह अपने उद्योग के लिए 55 किलोवॉट की बिजली कहां स ले रहा था।

दिल्ली की प्रमुख बिजली वितरण कंपनियां बीआपीएल व बीवाईपीएल अपने उपभोक्ताओं को गुणवत्तायुक्त बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है।